कार्यालय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी

आदेश सं0 20 /2025 जनवरी, 28, 2025

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.01.2025 को पारित प्रशासनिक आदेश संख्या 07/2025 द्वारा स्थानीय अवकाश एवं स्थानापन्न अवकाश घोषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 590/Admin (E-II) Section/XC-4/Dated: Allahabad: 13.01.2025 द्वारा इस आशय का आदेश प्राप्त हुआ है कि **"Hon'ble the Court has been pleased to declare January 14, 2025 (Tuesday) as Public Holiday on account of Makar Sankranti, under Negotiable Instrument Act-1881, in the District Judiciary of Allahabad High Court."**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में पारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये स्थानीय अवकाश के क्रम संख्या 01 पर अंकित दिनांक 14.01.2025 दिन मंगलवार, मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में घोषित अवकाश को निरस्त किया गया था।

तद्नुसार, दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' वाराणसी व दी बनारस बार एसोसिएशन, वाराणसी (संयुक्त बार) द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रस्ताव दिनांकित 28.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में **दिनांक 14.01.2025 दिन मंगलवार, मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर मौनी अमावस्या के स्नान के महापर्व पर दिनांक 29.01.2025 को स्थानीय अवकाश के रूप मे घोषित किया जाता है।**

इस आदेश की एक–एक प्रति दी बनारस बार एसोसिएशन, वाराणसी व दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' वाराणसी को प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए एक प्रति सूचना अधिकारी वाराणसी को सभी समाचार पत्र में प्रकाशन कराए जाने हेतु भेजी जावे।

यह आदेश सभी न्यायिक अधिकारियों के मध्य परिचालित हो तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजी जावे।

जनपद न्यायाधीश
वाराणसी।
28/1/2025